

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा

(छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छ.ग. कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छ.ग. मंत्रालयीन कर्मचारी संघ एवं समस्त कर्मचारी संगठनों का संयुक्त फोरम)

क्रमांक

दिनांक

प्रति,

मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
महानदी भवन, अटल नगर,
नवा रायपुर

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों /अधिकारियों के पाँच सूत्रीय मांगों के निराकरण करने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी मोर्चा का पत्र क्रमांक 03 दिनांक 23/06/2023

द्वारा:- कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार

....00....

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा समय-समय पर ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन एवं आंदोलन के माध्यम से निम्नांकित पाँच सूत्रीय मांगों के संबंध में ध्यानाकृष्ट कराया जाता रहा है। किन्तु शासन द्वारा आज पर्यन्त मांगों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिये जाने के कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

प्रमुख मांगे :-

1. छठवे वेतनमान के आधार पर देय गृह भाड़ा भत्ते को सातवें वेतनमान के आधार पर केन्द्रीय दर पर पुनरीक्षित किया जावे।
2. राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जावे।
3. प्रदेश के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जावे।
4. कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान क्रमशः 08, 16, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत किया जावे एवं अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किया जावे।

क्रमशः..2...

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा

(छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छ.ग. कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छ.ग. मंत्रालयीन कर्मचारी संघ एवं समस्त कर्मचारी संगठनों का संयुक्त फोरम)

क्रमांक

दिनांक

//2//

5. पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की जावे एवं पूर्ण पेंशन का लाभ अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किया जावे।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा से संबद्ध संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के समस्त कर्मचारी/अधिकारी संगठनों के द्वारा उपरोक्त मांगों को लेकर 07 जुलाई, 2023 को काम बंद आंदोलन किया जा रहा है। सरकार द्वारा अनिर्णय की स्थिति में 01 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जावेगा।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा आपसे अनुरोध करता है कि उल्लेखित मांगों के निराकरण हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए समुचित आदेश जारी कराने का कष्ट करेंगे।

सादर अपेक्षा सहित,

संयोजकगण एवं पदाधिकारीगण का हस्ताक्षर

ब्लॉक/तहसील

जिला